UPMO040483502022

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–47437/2022

14.07.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त रज्जन की ओर से मु0अ0 सं0–51/2018, अन्तर्गत धारा–406 भा0दं0सं0, थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी को रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने उक्त केस से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है। उक्त केस के वादी एवं अन्य लोगों ने जालसाजी करके प्रार्थी व उसके परिवार की जमीन का बयनामा कराकर लगभग 94 लाख रूपये हडप रखा है। प्रार्थी 60 वर्ष से अधिक उम्रं का बीमार व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थी धारा–437 दं0प्र0सं0 के लाभ का अधिकारी है। अतः प्रार्थी को दौराने विचारण जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा के रूपये हडपने तथा रूपये वापस न करने का कथन है। अपराध अजमानीय व गम्भीर प्रकृति का हैं। मामलें के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त के आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। न्यायालय की राय में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रज्जन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(मनीष कुमार द्वितीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।
आई0डी0नं0–यू0पी0 1965